THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY (TEMPORARY POWERS OF CONTROL) (CONTINUANCE) ACT, 1970.

(U. P. ACT NO. 12 OF 1970)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Jari Rahhne Ka) Adhiniyam, 1970].

An

ACT

U.P. Act VI of 1947.

to provide for the continuance, for a limited period, of the U.P. Electricity (Temporary Powers of Control) Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Continuance) Act, 1970.

Short title.

Amendment of section 1 of U. P. Act VI of 1947.

Repeal of President's Act No. 26 of 1968. 2. In sub-section (4) of section 1 of the U. P. Electricity (Temporary Powers of Control) Act, 1947, for the figures "1968", the figures "1973" shall be *substituted*.

3. The Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Continuance) Act, 1968, is hereby repealed.

(*For statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated September 1, 1969).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 3, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 11, 1970).

(Received the Assent of the President on April 7, 1970 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated April 8, 1970).

PSUP-A.P. 69 Genl. (Leg.) -1970. 1,848 (M): 1

Price 05 Paise.

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखमे का) ग्रधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम संख्या 12, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 । मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असा-धारण गजट में दिनांक 8 ग्रप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

यू॰ पी॰ यू॰ पी॰ इलेक्ट्रिटी (टेम्पोरेरी पावर्स ग्राफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1947 को ऐक्ट ५, सीमित ग्रवधि के लिए जारी रखने का उपवन्ध करने के लिए 1947

ग्रचिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित ग्रघिनियम बनाया जाता है :----

1-यह ग्रधिनियम उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स ग्राफ कंट्रोल) संक्षिप्त शीर्षनाम (जारी रखने का) श्रधिनियम, 1970 कहलायेगा।

3—-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स ग्राफ कंट्रोल) (जारी रखने का) भ्रधिनियम, 1968 एतदढारा निरस्त किया जाता है ।

26, 1968 कानिरसन

संख्या

नियम

(उद्देश्य श्रौर कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 28, सितम्बर 1969 ई॰ का सरकारी ग्रसाधारण गजट देखिए।)

पी० एस० यू० पी०-- ए० पी० ६८ जनरल (ले०)-- १९७०-- १,८२० (मे) ।